रिवस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

Michaelte of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] No. 437] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, सितम्बर 27, 2007/आश्विन 5, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2007/ASVINA 5, 1929

पोत परिवहन, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 17 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 629(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपघर और दीपपोत विभाग अराजपित्रत तकनीकी पद भर्ती नियम, 1978 को जहाँ तक उसका संबंध तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी) समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय, तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2007 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान..—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हताएं.--वह व्यक्ति:--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

4017 GI/2007

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिवत.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

			अनुसूच	ì		
पद का नाम	प्रदों की संख्या	वर्गीकरण	,	वयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
	2	3	4	5	6	7
तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी)	16* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अन्तुसचिवीय)	4500-125-7000 रुपये टिप्पण—पाँचवें केन्द्री वेतन आयोग की सिफारि के अनुसार ज्येष्टता के आधार पर स्वीकृति पर को 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में प्र वर्ष की सेवा पूरी करने 5500-175-9000 रुपये उच्चतर वेतनमान प्रदान ज	य होता शॉ ों पर का	ों लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्री सरकार द्वारा जारी किए गए समय समय पर अनुदेशों या आदेशों के अनुस्स सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तर शिथिल की जा सकती है टिप्पण.—1. आयु—सीमा अवधारिकरने के लिए निर्णायक तारी अध्यर्थियों से (वह अंतिम तारी नहीं है जो असम, मेघालय, अरूणाच प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू और कश्म् का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश लाहौल एवं स्पीति जिला एवं च जिले का पांगी उपक्षेत्र एवं अंडम् एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप लिए निर्धारित की गई है) आवे प्राप्त करने के लिए नियत की अंतिम तारीख होगी। टिप्पण.—2. रोजगार कार्यालय माध्यम से भर्ती की दशा में आयु—स् अवधारित करने के लिए निर्णा तारीख वह होगी जब तक रोज कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	हो	शा की , यदि कोई	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्नित् द्वारा या प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10		11
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या समतुल्य से इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरी या विद्युत एवं इलैक्ट्रोनिक्स या जायोक्ट किसी से	लागू नहीं होता	दो वर्ष		सीधे भर्ती

इंजीनियरी या विद्युत एवं इलैक्ट्रोनिक्स या उपरोक्त किसी में संयुक्त रूप में डिप्लोमा ।

(2) वायरलेस ट्रांसमीटर, रिसीवर, एरियल सिस्टम एवं संबंधित ऊर्जा संयत्रों में संस्थापन एवं अनुरक्षण में एक वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:---माइक्रोवेब उपकरणों के रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)/नियुक्ति/सक्षम प्राधि-कारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/अव- शोषण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रीनिति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13	
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्तित समिति (पुष्टिकरण पर विचा	14
	करने के लिए), में निम्नलिखित सदस्य होंगे :	र लागू नहीं होता
	(1) महानिदेशक, दीपस्तम्भ और दीपपोत	
	(१) विदेशक (च्ये) चेन्या व ०	अध्यक्ष
	(2) निदेशक (इलै.), दीपस्तम्भ और दीपपोत —-र	मदस्य
	(3) एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के पद से	
· -	कम का अधिकारी च जो	नदस्य

[फा. सं. 3/12/2005-प्रशा.-1] मनमोहन सिंह सुमन, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

Noida, the 17th September, 2007

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships, (Non-gazetted Technical posts), Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the post of Technician (Electronics), except as respect things done or omitted to be done before such

supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician (Electronics), Group "C" post in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships, 'Technician (Electronics)' Group "C" post, Recruitment Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE Whether Whether Age limit for direct recruits of Classification Scale of pay Name of Number benefit of selection of post posts added post or nonyears of service selection admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 6 Between 18 and 27 years. Not Technician 16* (2007) General Rs. 4.500-125-7.000 Not (Relaxable for Government applicable applicable *Subject to Central Note.-As per the (Electronics) recommendation of servants upto 40 years in dependent variation Service accordance with the instructions on work-Group 'C' 5th Central Pay or orders issued by the Central Non-Gazetted., Commission, 30% of load Government from time to time). the sanctioned posts (Non-Note:1. The crucial date for on seniority basis will Ministerial) determining the age limit shall be granted higher scale be the closing date for receipt of pay of Rs. 5500-175of applications from candidates 9000 on completion of in India (and not the closing five years of regular 'date prescribed for those in service in the scale of Assam, Meghalaya, Arunachal pay of Rs. 4500-125-Pradesh, Mizoram, Manipur, 7000. Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and

š		•		7	
			Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andama & Nicobar Islands and Lakshadweep). Note: 2. In case of recruitmer made through the Employmer Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.		
Educational and other q	ualifications required for direct	Whether age and educational	Period of probation,	Method of recruit	
		qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	by direct recruit- ment or by pro- motion or by depu- tation or absor- ption and per- centage of vacan- cies to be filled by	
	8	9	10	various methods	
or a combination of a or equivalent qualific (ii) One year experience if of wireless transmitten associated power plant Desirable.—Experience in a desirable. Note.—The qualifications in the discretion of the appoint elonging to the Schedule (any stage of selection the appoint stage of selection the appoint stage of selection the appoint sufficient number of care	the installation and maintenance is, receivers, aerial systems and the handling of microwave equipment egarding experience are relaxable at ting authority in case of candidates castes or the Schedule Tribes if at propositing authority is of the opinion adidates from these communities erience are not likely to be available	Not applicable	Two years	Direct recruitment.	
r case of recruitment y promotion or depu- tion or absorption, rades from which romotion or deputation r absorption to be made	If a Departmental Promotion Commi what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
ot applicable	Group 'C' Departmental Promotion Confirmation) consisting of: (1) Director General of Lighthouses Lightships (2) Director (Electronics), Directora General of Lighthouses & Lightshi (3) Outside member not below the r	s and —Chairman te ps —Member	Not applicat	14 ole	
	of Under Secretary	—Member		/12/2005-Admn-П	